Urgent
Priority

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:संस्था/चिअ/एटी/2018/224 दिनांक: 11.05.2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:– जेल में निरूद्ध महिला बन्दीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विधिक सेवाओं की पहुंच बढाने के नाल्सा द्वारा प्रेषित अभियान के कियान्वयन हेतु अधिकारी मनोनीत करने व आयोजित बैठक में भाग लेने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10.05.18 को आयोजित बैठक में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक जिले के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित की जाने वाली विशेष टीम में स्वास्थ्य विभाग से मनोचिकित्सक, शिशुरोग विशेषज्ञ एंव महिला चिकित्सक को शामिल करने हेतु किया जावें।

अतः जेल में निरूद्ध महिला बन्दीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विधिक सेवाओं की पहुंच बढाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर उक्त अभियान के कियान्वयन हेतु निर्देशानुसार आपके अधीन पदस्थापित एक–एक मनोचिकित्सक, शिशुरोग विशेषज्ञ एंव महिला चिकित्सक को उक्त अभियान के लिये मनोनित कर उनके नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अभियान दिनांक 17 मई, 2018 से 10 दिन तक आयोजित किया जावेगा। कपृया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर अधो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

11.5.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चिअ/एटी/2018/224 दिनांक: 11.05.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर। ई–मेल आईडी–rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com
4. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र सम्बन्धित को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अप–लोड करावें।

11.5.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।